शोध मंथन Vol. XIII No.II Apr.-June 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा : एक अवलोकन

प्राप्तिः 04.04.2022
स्वीकृतः 04.06.2022

35

डॉ० रजनी श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मेरठ
ईमेलः *drrajni.shrivastava20@gmail.com*

सारांश

भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि ''यदि किसी देश की महिलाएं सुसंस्कृत हैं तो आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि उस देश के पुरूष कैसे हैं। यदि स्त्रियाँ पिछड़ी हुई हैं तो देश भी पिछड़ा हुआ होगा। किसी देश की प्रगति की जाँच करने का यह सशक्त तरीका है।''

स्वतन्त्रता के बाद समाज में काफी बदलाव आये हैं किन्तु नारी की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। स्त्रियों का लिंगानुपात पुरूषों की तुलना में कम है। शिक्षा के कारण रोजगार के अवसर बढ़े हैं लेकिन महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति बदतर हुई है। वह घर व बाहर दोनों ही जगह अपने को असुरक्षित महसूस करती है। देश के कानून और सरकारी विकास कागजी हैं। कुपोषण, अशिक्षा, लैंगिक असमानता, बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज हत्या, एसिड अटैक, यौन शोषण जैसे अनेक अपराध महिलाओं के विरूद्ध प्रतिदिन होते हैं और वे दर–दर की ठोकर खाती अदालतों के चक्कर लगाने को मजबूर होती हैं। युवावस्था में विधवा हो जाने पर पूरा जीवन वैधव्य के रूप में गुजारने को मजबूर, तलाक के बाद जीवन यापन की समस्या, दहेज के कारण नवविवाहितों की हत्या या जलाने का प्रयास, बालिकाओं व स्त्रियों का कार्यस्थल पर शोषण जैसी अनेक समस्याएं हैं जिनसे महिलाएं जूझ रही हैं।

मानव समाज आज भले ही अहिंसा और कानूनों की घोषणाओं का ध्वज उठाकर चल रहा है किन्तु नारी आज भी पूर्णरूपेण सुरक्षित नहीं है।

मुख्य बिन्दु

उत्पीड़न, लैंगिक असमानता, प्रभुत्ववादी समाज, सामाजिक संस्था, स्वयं सहायता समूह, एसिड अटैक।

भारत में महिला के प्रति अपराध

आज समाज में कदम–कदम पर विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार अपराध कई प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न अपराधों के कारण भी भिन्न–भिन्न होते हैं। अपराध के आर्थिक, भौगोलिक, शारीरिक–मानसिक लक्षण, आनुवंशिक आदि कई कारण हो सकते हैं।

विश्व भर में जितने भी अपराध होते हैं, उनमें सर्वाधिक अपराध ऐसे होते हैं जो महिलाओं के विरूद्ध किये जाते हैं। महिला के विरूद्ध हिंसा या अपराध में मुख्यतः बलात्कार, छेड़छाड़, वेश्यावृत्ति, दहेज उत्पीड़न, एसिड अटैक और घरेलू हिंसा आदि शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त कन्या–भ्रूण हत्या, बालिका हत्या तथा साइबर क्राइम जैसे अपराध भी समाज में देखने को मिलते हैं। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एक सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्याओं को हम उन सामाजिक दशाओं के रूप में स्वीकार कर सकते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए खतरे के रूप में होती है, जिसके प्रति समाज के काफी लोग जागरूक होते हैं और निराकरण के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं, परन्तु जब आधी आबादी अर्थात् महिलाओं पर होने वाली हिंसा या अपराध की चर्चा होती है तो जागरूकता और निराकरण के उपाय में शिथिलता दिखाई देती है।

स्त्री के विरूद्ध हिंसात्मक अपराध

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा आम घटना है। हमारी परम्पराएं भी महिलाओं के प्रति हिंसा को उत्प्रेरित करती हैं। हमारी संस्कृति में पुत्र को पुत्री की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। पुत्र–रत्न की प्राप्ति सौभाग्य माना जाता है और प्रत्येक परिवार की इच्छा होती है कि उनकी बहू या बेटी अपनी कोख से पुत्र–रत्न प्रदान करे। यदि किसी स्त्री को बारम्बार पुत्री उत्पन्न होती है तो उसे नाना प्रकार के अत्याचार को सहन करना पड़ता है। हमारे समाज में पुत्रवती महिला का सम्मान पुत्रियों की माता की तुलना मे अधिक होता है। पुत्रियों के माता की परिवार में उपेक्षा की जाती है। वैसे तो किसी संतान का पुत्र या पुत्री होना, दोनों ही प्रकृति पर निर्भर है लेकिन यदि इसमें मानवीय दखल मान भी लिया जाय तो फिर उसके लिए पुरूष के शुक्राणु जिम्मेदार है न कि स्त्री के। बार–बार कन्या को जन्म देने के लिए स्त्री को ही दोषी माना जाता है और इसके लिए उसे पारिवारिक एवं सामाजिक उत्पीड़न का दंश झेलना पड़ता है। महिलाओं पर बचपन से ही अत्यधिक कार्यबोझ एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व को डाल दिया जाता है और यह भेदभाव बाल्यावस्था से लेकर जीवनपर्यन्त चलता है।

महिलाओं के ऊपर होने वाले हिंसा एवं अपराध को मुख्यतः तीन भागों में बॉट सकते हैं–

1. महिलाओं पर पुरूषों द्वारा किये गये अपराध जैसे बलात्कार, यौन हिंसा, छेड़छाड़, हत्या।
2. महिलाओं पर महिलाओं द्वारा किये गये अपराध जैसे घरेलू हिंसा, सास द्वारा बहू को प्रताड़ित किया जाना और विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं की उपेक्षा।
3. समाज द्वारा महिलाओं पर होने वाले अपराध जैसे देवदासी प्रथा, एसिड अटैक, छेड़छाड़ और कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न, धोखेबाजी आदि।

महिलाओं पर पुरूषों द्वारा किये गये अपराध की श्रेणी में निम्नांकित अपराध अधिकतर देखे जाते हैं जैसे अपहरण, प्रेम प्रसंग में छलना, धोखेबाजी, जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाना और वेश्यावृत्ति में धकेलना आदि। इसके अतिरिक्त कार्यस्थलों में महिलाओं की क्षमता को कम आंकना, पुरूषों की तुलना में कम रोजगार देना, दैहिक शोषण करना, मीडिया में उपभोग की वस्तु की तरह पेश किया जाना, नशीली दवाओं का प्रयोग करना आदि अपराध भी समाज में बहुतायत से पाये जाते हैं।

बलात्कार– एक जघन्य कृत्य

बलात्कार को जघन्य अपराध माना गया है और इसके लिए आजीवन कारावास तथा कठोर दण्ड का प्रावधान है। सामान्यतः यदि कोई पुरूष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जोर

जबरदस्ती करता है, उसे डरा धमकाकर उसके साथ सहवास करता है तो उसे बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। बलात्कार से महिलाओं को शारीरिक आघात ही नहीं बल्कि मानसिक चोट भी पहुँचती है। समाज द्वारा भी बलात्कार पीड़ित महिला को असम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपमान झेलना पड़ता है। बलात्कार का मुख्य कारण पुरूषों की मनोविकृति है। साथ ही आधुनिक जीवन शैली, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण, पुरूष मित्र रखना, अश्लील साहित्य को पढ़ना, उत्तेजक फिल्म देखना, मोबाइल द्वारा अश्लील चलचित्र देखना एवं स्त्रियों का उन्मुक्त आचार व्यवहार तथा मनोविकृति के कारण भी बलात्कार जैसी घटना को बढ़ावा मिलता है।

बलात्कारी किसी भी वर्ग, संप्रदाय या जाति का हो सकता है। सामान्यतः घर परिवार, नाते–रिश्तेदार कई लोग ऐसे होते हैं जो महिलाओं पर वक्र दृष्टि रखते हैं। शराब पीने का चलन भी बलात्कार के मामले को बढ़ाने में सहायक है। बलात्कार के दो स्वरूप होते हैं– पहला एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया बलात्कार और दूसरा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया बलात्कार जिसे सामूहिक दुष्कर्म भी कहा जाता है। बलात्कार चाहे किसी भावना के वशीभूत किया जाये, इसकी पीड़ा व प्रताड़ना पीड़ित महिला को ही झेलनी होती है। बलात्कार पीड़ित महिला के प्रति समाज भी संवेदनशील नहीं होता, ऐसे में पीड़िता का जीवन बरबादी की ओर बढ़ जाता है। अविवाहित बलात्कार पीड़ित महिला से विवाह हेतु कोई भी पुरूष तैयार नहीं होता। स्त्री को उस अपराध की सजा मिलती है जिसमें उसका कोई दोष नहीं होता। इसी प्रकार विवाहित बलात्कार पीड़िता का पति व परिवार उसे हेय दृष्टि से देखता है। कई बार ऐसी विवाहिता का परित्याग भी कर दिया जाता है। ऐसे में बलात्कार पीड़ित महिला का जीवन नारकीय हो जाता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सन् 2019 में बलात्कार के मामले 32,032, सन् 2018 में 32,356 तथा सन् 2017 में 32,539 बलात्कार के मामले भारतवर्ष में दर्ज किये गये हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बलात्कार के औसत 77 मामले प्रतिदिन दर्ज किये जाते हैं। सन् 2020 के अनुसार 28,046 बलात्कार के मामले दर्ज किये गये जो कि निराशाजनक है।

दहेज प्रथा की शिकार होती महिलाएं

आज भी हमारे देश में दहेज के लिए हजारों स्त्रियाँ काल–कलवित हो जाती हैं। प्रारम्भ में दहेज देना अर्थात् उपहार स्वरूप वधू के पिता द्वारा वर को वस्त्र एवं आभूषण देना था लेकिन कालान्तर में धीरे–धीरे इस परम्परा ने प्रथा का रूप ले लिया। दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें वधू के पिता को घर जमीन तक बेच देना पड़ता है। वर जितना सम्पन्न एवं अच्छी नौकरी या व्यवसाय वाला होगा, उतना ही अधिक दहेज की मांग वर पक्ष द्वारा की जाती है। दहेज की मांग पूरी न होने पर वधुओं पर अत्याचार वर पक्ष द्वारा किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों में दहेज की कुप्रथा बहुत प्रचलित है। दहेज उत्पीड़न की शिकार स्त्रियाँ ससुराल में कई प्रकार के व्यंग्य तथा शारीरिक व मानसिक प्रताड़नाओं को सहन करने को विवश होती हैं। ऐसी महिलायें इज्जत के नाम पर अपना मुँह नहीं खोलती और न ही कोई शिकायत करती हैं। बार–बार वस्तुओं एवं पैसों की मांग करके अपने मायके के लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हैं, फिर भी उनको वस्तुओं एवं पैसों के लिए परेशान किया जाता है और इच्छानुसार सामान नहीं मिलने पर विवाहिता के साथ अत्याचार किया जाता है। कई बार तो बहुओं को जलाकर मार दिया

जाता है। वर पक्ष की ऐसी धनलिप्सा भी देखी जाती है कि दहेज के लिए दूसरी शादी भी करने को तत्पर रहते हैं। लालच के कारण दहेज को और बढ़ावा मिलता है। अब तक के रिकॉर्ड बताते हैं कि उत्तरी राज्यों में सर्वाधिक दहेज हत्या देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे है। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान तथा उड़ीसा आदि हैं। भारत में गोवा व हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पर दहेज सम्बन्धी हिंसा के मामले सबसे कम हैं। हिमाचल प्रदेश में सन् 2014 के बाद दहेज–हत्या का कोई मामला सामने नहीं आया जो सराहनीय है।

वधू पक्ष के माता–पिता अपनी क्षमता के अनुसार आभूषण, वस्तुएं एवं जरूरत के सामान विवाह के समय वर पक्ष को अवश्य देते हैं परन्तु उनसे जबरदस्ती पैसों, गाड़ी, मकान आदि की मांग वर पक्ष द्वारा की जाती है जो सर्वथा अनुचित है। आधुनिक सुख–सुविधाओं ने भी दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया है।

अधिकांश परिवारों में होती है घरेलू हिंसा

घर के अन्दर होने वाली हिंसा जो कि मारपीट, गाली–गलौज तथा शारीरिक–मानसिक उत्पीड़न के रूप में दिखाई देती है, घरेलू हिंसा कहलाती है। परिवार के सदस्यों द्वारा स्त्रियों पर जो हिंसा की जाती है वह घरेलू हिंसा होती है। ये हिंसा पुरूष या स्त्री किसी के द्वारा भी हो सकती है। पुरूषों पर स्त्रियों की आर्थिक एवं सामाजिक निर्भरता घरेलू हिंसा के मुख्य कारणों में से एक है। कानूनी जानकारी के अभाव एवं शिक्षा की कमी के कारण भी घरेलू हिंसा की घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं। यह सत्य है कि 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं चाहे वह शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गृहिणी हो या नौकरीशुदा हो। हर प्रकार की महिलाओं पर घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न का कम या अधिक स्तर दिखाई देता है।

जिन परिवारों में रिश्तेदारों का हस्तक्षेप अधिक होता है वहाँ पति के रिश्तेदार पत्नी के लिए और पत्नी के रिश्तेदार पति के लिए आपसी झगड़े का कारण बनते हैं। बच्चे के लालन–पालन व शिक्षा के लिए भी प्रायः पति–पत्नी के मध्य मतभेद पैदा हो जाते हैं जो हिंसा का रूप ले लेते हैं। पति–पत्नी के मध्य सामन्जस्य की कमी के कारण तथा भौतिकता एवं आधुनिकता में अत्यधिक लिप्त हो जाने के कारण भी दूरी एवं तनाव बढ़ रहे हैं। आजकल पारिवारिक सामन्जस्य बनाये रखना कठिन हो रहा है क्योंकि स्त्री एवं पुरूष दोनों ही आर्थिक रूप से सम्पन्न हो रहे हैं और इस कारण परिवार की जिम्मेदारी अन्य संस्थाएं निभाने लगी हैं जैसे खाना बनाना, बच्चों को स्कूल से लाना या स्कूल ले जाना, पढ़ाई के लिए ट्यूशन कराना आदि काम अन्य लोगों के हाथों में चला गया है। ऐसे में बच्चों की देखभाल ठीक प्रकार से नहीं हो पाती और पति–पत्नी एक दूसरे को ताने और उलाहने देते रहते हैं। और यह सब घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त सास–ससुर, ननद आदि से वैचारिक मतभेद होना भी घरेलू हिंसा को बढ़ाने में सहायक हैं। मारपीट, गाली–गलौच एवं उत्पीड़न की घटनाओं को सहने के बाद भी महिलाएं पुलिस में इस कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं करातीं कि इससे समाज में परिवार का सम्मान कम होगा। परिवार की नाक कट जाएगी, यह सोचकर महिलाएं घरेलू हिंसा को सहती रहती हैं। पुलिस भी घरेलू हिंसा को आपस में सुलझाने की सलाह देकर मामले को टालने का काम करती है। ऐसे में महिलाएं पुलिस में रिपोर्ट कराने से अपने कदम पीछे खींच लेती हैं। कानूनी प्रावधान का ज्ञान न होने के कारण भी महिलाएं अपने प्रति होने वाली घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज नहीं करा पाती हैं। समाज समयानुसार जैसे–जैसे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा

है, वैसे–वैसे समाज में हिंसा की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। सामाजिक तौर पर महिलाओं को त्याग, सहनशीलता एवं शर्मीलेपन का ताज पहनाया गया है जिसके भार से दबी महिला कई बार जानकार होते हुए भी कानून का सहारा नहीं ले पाती। बहुत सारी घटनाओं में महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो रही घटना हिंसा का स्वरूप है और इनसे बचाव के लिए कानून भी है।

देश की राजधानी दिल्ली में स्थित एक सामाजिक संस्था द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार भारत की लगभग 5 करोड़ महिलाओं को अपने घर में हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से मात्र 0.1 प्रतिशत ही हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं।[1]

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो भी आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, वे वास्तविक आंकड़ों से काफी कम होते हैं। इसका कारण यह है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अधिकतर अपराधों में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जाती। पुरूषों द्वारा महिलाओं का शोषण घर की चारदीवारी के भीतर अधिक किया जाता है। मानसिक प्रताड़ना हेतु उन पर व्यंग्य, ताने, परिवार के स्वजनों को अनुचित उलाहना देना तथा व्यक्तिगत चरित्र पर लांछन लगाना आम बात है। इन बातों की कहीं सुनवाई नहीं होती क्योंकि इनका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। (रेनुका चौधरी)।[2] 38 प्रतिशत पुरूष भी यह मानते हैं कि वे अपनी साथी का शारीरिक मानसिक शोषण करते हैं।[3] इसके अतिरिक्त कन्या भ्रूण हत्या, छेड़छाड़ और एसिड अटैक जैसी घटनायें मानवीय संवेदनाओं को खत्म कर रही हैं। किसी महिला को जबरन देह व्यापार कराना भी अपराध है। कुछ धार्मिक कुरीतियों के द्वारा भी महिलाओं को शोषित किया जाता है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में देवदासी की परम्परा बहुत प्रचलित है। इसमें माता–पिता अपनी किशोर कन्या को देवी–देवताओं को अर्पित कर देते हैं। इन किशोरियों का पुजारियों द्वारा शोषण किया जाता है। इसी तरह विधवाओं के साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता है। कई विधवा आश्रमों से विधवाओं के साथ शोषण की घटनाएं सामने आती रहती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ बदसलूकी अब गाँव चौपाल तक पहुँच चुकी है। बस, रेल या आटो रिक्शा में भी महिला स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती है।[4]

यूनिसेफ के सर्वेक्षण में बच्चों की उपेक्षा, पति से बहस, खाना जल जाने को भी पिटाई का कारण बताया गया है। घरेलू हिंसा महिलाओं के लिए बचपन से बड़े होने तक के लिए प्रक्रियाओं का हिस्सा है। इसलिए वे सामान्य समझकर स्वीकार कर लेती हैं। सामान्यतया पति आयु में बड़ा होता है इसलिए भी पत्नी घरेलू हिंसा को स्वीकार कर लेती है। संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनीसेफ द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं ने कुछ परिस्थितियों में जीवनसाथी द्वारा की गयी मारपीट को उचित बताया है। जबकि हकीकत इससे बिल्कुल परे है। वर्तमान समय में कोई भी महिला पति द्वारा की जाने वाली मारपीट को पसंद नहीं करती है।[5]

भारत में महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अपराधों एवं हिंसा की जानकारी गृह मंत्रालय, पुलिस अन्वेषण विभाग तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस विभाग से प्रकाशित आंकड़ों से होती है। किन्तु इसके द्वारा प्रकाशित आंकड़े भी सम्पूर्ण नहीं हैं क्योंकि महिलाओं के प्रति किये गये सभी अपराधों को पुलिस में दर्ज नहीं कराया जाता है तथा नारी के प्रति किये जाने वाले अपराधों को घरेलू मामला समझकर पुलिस उनमें हस्तक्षेप नहीं करती है और स्त्रियाँ भी उसे घर से बाहर उजागर करना नहीं चाहती हैं।[6]

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध का राज्यवार विवरण निम्नांकित है–

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अन्तर्गत महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का राज्यवार विवरण (2019–2020)

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	घरेलू हिंसा	दहेज हत्या	बलात्कार	वेश्यावृत्ति	बलात्कार पश्चात् महिला हत्या	भ्रूण हत्या	छेड़छाड़	महिला अपहरण	तेजाब हमला	महिलाओं से सम्बन्धित साइबर अपराध
1	उत्तर प्रदेश	18304	2410	3065	22	34	71	11988	11649	42	210
2	मध्य प्रदेश	5488	550	2485	21	37	27	5585	6091	8	51
3	बिहार	2397	1120	730	40	4	0	312	9025	7	60
4	महाराष्ट्र	8430	196	2299	152	47	8	10412	6906	6	86
5	गुजरात	3619	9	528	24	7	1	1048	922	5	36
6	हरियाणा	4867	248	1480	28	6	17	2581	2803	4	46
7	राजस्थान	18432	452	5997	40	7	7	8802	5907	2	41
8	पंजाब	1595	69	1002	9	0	3	944	1534	5	22
9	दिल्ली	3792	116	1253	4	5	6	2355	3672	8	11

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2019[7]

उत्पीड़न, शोषण और अशक्तता की स्वीकृति

नारी के द्वारा स्वयं ही नारी उत्पीड़न, शोषण और मारपीट को स्वीकार करना महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक है। कई बार विवशता में तो कई बार अपनी सहनशील छवि बनाये रखने के लिए महिलाएं उत्पीड़न को सामान्य सामाजिक व्यवहारों के रूप में लेती हैं।[8]

महिला शोषण एवं हिंसा पर व्यापक अध्ययन करने वाले राम आहूजा का मानना है कि भारतीय महिला आज भी आर्थिक रूप से पुरूष के प्रभुत्व से मुक्त नहीं है। सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक आयामों में भी उसकी स्थिति पुरूषों के अनुरूप नहीं है और आज भी वह पुरूष प्रभुत्ववादी समाज व्यवस्था के अत्याचार का शिकार है।[9]

महिला सुरक्षा हेतु किये जाने वाले प्रयास एवं सुझाव

महिला सुरक्षा हेतु सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नम्बर 1090 जारी किये गये हैं जिसके जरिये महिलाएं संकट की स्थिति में इस नम्बर पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराकर भी महिलाएं राहत प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस सहायता भी प्राप्त कर सकती हैं। पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए महिला न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें अनुभवी महिला न्यायाधीश हों। इससे पीड़ित महिलाओं को जो कानून की अज्ञानता का भय होता है, उसमें कमी आयेगी। साथ ही स्वयंसेवी संगठनों को भी आगे आकर पीड़ित महिलाओं की सहायता करनी चाहिए।

भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण व व्यवस्था भी अभी तक महिला अधिकारों व महिला सशक्तिकरण के पक्ष में नहीं है। धर्म, जाति तथा पुरूष प्रधानता पर आधारित परम्परागत सामाजिक ढांचे में निहित असमानता ने सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक न्यायिक विकास के क्षेत्रों में उनकी पचास प्रतिशत भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर व्यापक एवं गम्भीर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमें समाज की सम्पूर्ण सोच, दृष्टिकोण तथा उसमें प्रचलित पूर्वाग्रहों में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना है।[10]

ऐसी महिलाएं जो बलात्कार की शिकार होती हैं उन्हें समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है, उनके लिए आश्रय व रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा मिलने से ऐसी महिलाएं अपने बच्चों का लालन–पालन भी कर पायेंगीं। पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए महिला संगठनों की स्थापना की जाए। यदि सामूहिक रूप से महिलाओं की सहायता की जाय तो ये अधिक कारगर होगा।

महिलाओं को स्वयं को मजबूत बनाना चाहिए। अत्याचार एवं उत्पीड़न को सहन नहीं करना चाहिए। वे अपने प्रति होने वाले शोषण के प्रति जागरूक हों तथा उसका विरोध जमकर करना चाहिए तथा परिवारजनों, पुलिस व न्यायालय की सहायता लेकर इसके विरूद्ध आवाज उठानी चाहिए।

स्त्री–पुरूष दोनों ही समाज में समान सम्मान के हकदार हैं। ऐसे में यदि एक शोषक और दूसरा शोषित बन जाए तो देश का उत्थान समान नहीं हो सकता। दोनों के कदम साथ बढ़े, इसके लिए सामाजिक दशा व दिशा दोनों पर विचार करना आवश्यक है। देश तभी तरक्की कर पायेगा जब अपराध का ग्राफ नीचे हो। अपराध के प्रति कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। कठोर कानून बनाया जाय ताकि किसी भी महिला का जीवन असुरक्षित न हो। शिक्षा, स्वास्थ्य स्तर तथा कानूनी अधिकार को प्रदान करके महिलाओं को सम्मान दिलाया जा सकता है।

संदर्भ

1. हरप्रीत कौर – 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं मद्यपान' (2014), अमेजिंग पब्लिकेशनः नई दिल्ली।
2. Chaudhary, Renuka. (2006). "India Tackles Domestic Violence" BBC. 26 Oct..
3. (2016). International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) ICRW.ORG Archived from the original on 27.03. Retrieved 05.04.2016
4. अंजली– 'भारत में महिला अपराध' राधा पब्लिकेशनः नई दिल्ली।
5. शर्मा, श्रीमती पूजा. (2012). महिलाएं एवं मानवाधिकार. सागर पब्लिशर्सः जयपुर।
6. पाण्डेय, डॉ अनुराधा. महिला सशक्तिकरण, द्वारिका पब्लिकेशन हाउसः जयपुर।
7. (2019). राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. Statistics.
8. चन्द्रा, सुभाष. (1999). भारतीय नारी– कितनी जीती कितनी हारी. अनिल प्रकाशनः नई दिल्ली।
9. आहूजा, राम. (1999). क्राइम अगेन्स्ट वोमेन. रावत पब्लिकेशनः जयपुर।
10. देवी, उमा. (2002). वीमेन्स इक्वेलटी इन इण्डियाः मिथ ऑर रियल्टी. डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउसः नई दिल्ली।